# भारतीय राजव्यवस्था हेतु संक्षिप्त नोट्स

यह नोट्स अभ्यर्थियों को IAS प्रीलिम्स परीक्षा 2020 के लिए भारतीय राजव्यवस्था के क्विक रिवीजन हेत् उपयोगी सिद्ध होंगे

# भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- 1. अन्च्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र
- 2. अन्चछेद 3: नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन
- 3. अनुच्छेद 13: साथ या में असंगत कानून मौलिक अधिकारों का हनन
- 4. अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
- 5. अन्च्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
- 6. अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन
- 7. अनुच्छेद 19 : बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।
- 8. अन्च्छेद २१: जीवन की स्रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- 9. अन्च्छेद 21A: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
- 10. अनुच्छेद 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार
- 11. अन्चछेद 30: शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार
- 12. अन्चें केद 31 C: कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत
- 13. अन्चेद 32: निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय
- 14. अनुच्छेद 38: लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य
- 15. अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
- 16. अन्चेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
- 17. अनुच्छेद 45 : 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
- 18. अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा।
- 19. अन्च्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना।
- 20. अन्च्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और स्रक्षा
- 21. अन्चेछेद 51A: मौलिक कर्तव्य
- 22. अनुच्छेद 72: कुछ मामलों में क्षमा, निरस्त, प्रेषण या दंड देने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां
- 23. अन्चें छेद 74: रॉष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श
- 24. अन्च्छेद 76: भारत के अटॉर्नी-जनरल
- 25. अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा कार्य हेतु सूचना प्रदान करना
- 26. अन्च्छेद 110: धन विधेयक की परिभाषा
- 27. अन्च्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- 28. अन्चेद 123: संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति।
- 29. अनुच्छेद 143: उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति
- 30. अनुच्छेद 148: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

- 31. अन्च्छेद 149: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां।
- 32. अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति
- 33. अनुच्छेद 161: क्षमा करने के लिए राज्यपाल की शक्ति, आदि, और सस्पेंड, कुछ मामलों में सजा देने की शक्तियाँ।
- 34. अनुच्छेद 163: गवर्नर 35 को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
- 35. अनुच्छेद 165: -राज्य के एडवोकेट-जनरल जो ब्रिटिश कानून अभी भी भारत में उपयोग किए जाते हैं।
- 36. अनुच्छेद 167: राज्यपाल को सूचनाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, आदि।
- 37. अन्च्छेद 168: राज्यों में विधानों का संविधान
- 38. अनुच्छेद 169: राज्यों में परिषदों के उन्मूलन या निर्माण हेतु विधायिका की शक्तियाँ
- 39. अन्च्छेद 170: राज्यों में विधानसभाओं की संरचना
- 40. अनुच्छेद 171: राज्यों में विधान परिषदों की संरचना
- 41. अन्च्छेद 172: राज्य विधान मंडलों की अविध
- 42. अन्च्छेद 173: राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
- 43. अन्च्छेद 174: राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि, प्रचार और विघटन
- 44. अन्च्छेद 178: विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
- 45. अन्च्छेद 194: अधिवक्ता-जनरल की शक्तियां, विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षा।
- 46. अनुच्छेद 200: राज्यपाल द्वारा बिलों के लिए आश्वासन (राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित)
- 47. अन्च्छेद 202: -राज्य विधानमंडल का 48 वां वित्तीय विवरण।
- 48. अनुच्छेद 210: राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा
- 49. अनुच्छेद 212 : अदालतें राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में पूछताछ नहीं करती हैं।
- 50. अर्नुच्छेद 213: राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति।
- 51. अन्च्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- 52. अनुच्छेद 217: -उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद और पद की शर्तें
- 53. अन्च्छेद 226: निश्चित रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति
- 54. अन्चेद 239AA: दिल्ली संबंध में विशेष प्रावधान।
- 55. अनुच्छेद 243 B: पंचायतों का गठन
- 56. अन्च्छेद 243 C: पंचायतों की स्थिति
- 57. अनुच्छेद 243G: पंचायतों के अधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व
- 58. अनुच्छेद 243K: पंचायतों के चुनाव
- 59. अनुच्छेद 249: -राज्य सूची में कॉनून बनाने हेतु संसद की शक्ति
- 60. अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अनुकूलन
- 61. अनुच्छेद 263: एक अंतर-राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान।
- 62. अनुच्छेद 265: कानून के प्राधिकार द्वारा नहीं किए जाने वाले कर
- 63. अनुच्छेद 275: संघ से कुछ राज्यों को अनुदान
- 64. अन्चछेद 280: वित्त आयोग
- 65. अनुच्छेद 300: मुकदमा और कार्यवाही

- 66. अनुच्छेद 300A: वे व्यक्ति जिन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है (संपत्ति का अधिकार)
- 67. अनुच्छेद 311: संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से हटाने, की शक्ति।
- 68. अन्च्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएं
- 69. अन्च्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
- 70. अन्चछेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्य
- 71. अन्च्छेद 323- A: प्रशासनिक अधिकरण
- 72. अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- 73. अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
- 74. अन्च्छेद 335: सेवाओं और पदों के लिए अन्सूचित जातियों और अन्सूचित जनजातियों के दावे
- 75. अन्च्छेद 352: आपातकाल की घोषणा (राष्ट्रीय आपातकाल)
- 76. अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन प्रावधान। 77. अन्च्छेद 360: - वितीय आपातकाल का प्रावधान।
- 78. अनुच्छेद 365: संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या करने में विफलता हेतु राष्ट्रपति शासन,
- 79. अन्च्छेद 368: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके बाद की प्रक्रिया

# भारतीय संविधान का ऐतिहासिक अवलोकन (विनियमन अधिनियम, चार्टर अधिनियम, भारत अधिनियम)

ब्रिटिश प्रशासन को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, वह है

- (1) कंपनी प्रशासन (1773-1857)
- (2) क्राउन प्रशासन (1858-19 47)

निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियम, नियम और विकास हैं जो की वर्तमान भारतीय राजनीति के विकास की ओर अग्रसर हैं।

#### कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियमन - 1773

- (1) 'गवर्नर' का पद अब 'गवर्नर-जनरल' बनाया गया है और बंगाल ऐसा पहला प्रांत था जहा के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हें चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की।
- (2) कलकता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई थी। सर एलीया इंपी मुख्य न्यायाधीश थे

### पिट्स इंडिया एक्ट - 1784

- (1) भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक और संगठन- 'नियंत्रण का बोर्ड' बनाया गया। हालांकि निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंध करने के लिए रखा गया।
- (2) इस प्रकार, कंपनियों के अधिकार को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश अधिकार' नाम कहा गया और वाणिज्यिक शाखा का नेतृत्व निदेशक मंडल और राजनीतिक दल का नेतृत्व नियंत्रण मंडल कर रहे है। (3) इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलियम पिट ने पेश किया था

चार्टर अधिनियम - 1813: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एकाधिकार को समाप्त किया और अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दी।

#### चार्टर अधिनियम - 1833

- (1) बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताएं विधायी शक्तियों के साथ उनसे ले ली गयी और कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
- (2) इस अधिनियम ने पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कंपनी अस्तित्व में थी, लेकिन यह एक विश्द्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी।

#### चार्टर अधिनियम - 1853

- (1) एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गयी।
- (2) भारतीयों के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का परिचय किया गया। इस उद्देश्य के लिए मैकाले सिमिति का गठन हुआ (1854) सत्यसेन नाथ टैगोर 1863 में उस सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय बन गए।
- (3) नोट भारत में सिविल सेवा के पिता लॉर्ड चार्ल्स कोनवलिस क्योंकि उनके भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण।

#### क्राउन प्रशासन 1858 भारत सरकार अधिनियम

- (1) इसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
- (2) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया मुगल प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया।
- (3) गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और एक नया पोस्ट वायसरॉय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाये गये।
- (4) इसके अलावा भारत के लिए सचिव-राज्य बनाया गया और इनकी मदद के लिए 15-सदस्यीय परिषद बनायीं गयी। यह सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे।

#### भारतीय परिषद अधिनियम 1861

- (1) वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कुछ भारतीयों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए उनके लिए प्रावधान किए गए। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया।
- (2) बंगाल के लिए नई विधान परिषदें (1862), उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती प्रांत (1866) और पंजाब (1897) की स्थापना हुई।

#### भारतीय परिषद अधिनियम 1892

- (1) तत्कालीन भारत में बजट चर्चा का अधिकार विधायी परिषद को दिया गया।
- (2) बढाई गयी परिषदों और कुछ सदस्यों को केंद्र क साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित किया जा सकता है।

#### भारतीय परिषद अधिनियम 1909

- (1) यह अधिनियम मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
- (2) केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 की गयी।
- (3) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने।
- (4) सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया था। मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए, मिंटो को 'सांप्रदायिक मतदाता के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।

#### भारत सरकार अधिनियम 1919

- (1) यह अधिनियम मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और यह 1921 में लागू हुआ था।
- (2) यहा केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों या सूचियों को पेश किया गया जहां वे अपने संबंधित सूचियों को कानून तैयार कर सकते थे। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। इस प्रकार, इस अधिनियम ने दोहरा शासन की शुरुआत कि।
- (3) द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।

#### भारत सरकार अधिनियम 1935

- (1) इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गयी। महासंघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसे शामिल नहीं किया था।
- (2) प्रांतों में समाप्त हुई दोहरा शासन और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' पेश की। लेकिन केंद्र में यह दोहरा शासन शुरू किया; हालांकि वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था।

- (3) साथ ही साथ उदास वर्गों के लिए अलग-अलग मतदाताओं के साथ-साथ प्रान्तों में द्विसदन भी शुरू किया।
- (4) केंद्र में आरबीआई और एक संघीय अदालत की स्थापना की गयी।

#### भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- (1) विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) देश के विभाजन और आथली घोषणा (20 फरवरी 1947) को देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभाव देना था।
- (2) भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप से निर्मित किये गये, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और अपने स्वतंत्र संविधानों को तैयार करने के लिए दो स्वतंत्र राष्ट्रों के घटक विधानसभा को अधिकृत किया।
- (3) भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई, 1947 को शाही सहमति मिली।

# भारतीय संविधान का निर्माण (संविधान सभा और संविधान के स्रोत)

- यह एम.एन. रॉय थे जिसने 1934 में भारत के लिए एक स्वतंत्र सविंधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था।
- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। मिशन का नेतृत्व पेठिक लॉरेंस ने किया था और उनके अलावा दो अन्य सदस्य शामिल थे - स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी अलेक्जेंडर।
- विधानसभा की कुल संख्या 389 थी। हालांकि, विभाजन के बाद केवल 299 ही बने रहे। यह आंशिक रूप से चुने गए और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे।
- विधानसभा बनाने के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और नवंबर 1946 तक इस प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और 211 सदस्य उपस्थित थे।
- डॉ सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंच अभ्यास के बाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बने।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में च्ना गया था।
- सर बी एन राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर, 1946 को पं. नेहरू ने उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया थोड़ा संशोधित रूप प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मित से अपनाया गया था।
- संविधान सभा ने मई, 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। साथ ही, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठक हुई, अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, कुल में 141 दिन बैठे और 114 दिन के लिए प्रारूप संविधान पर विचार किया गया। कुल राशि 64 लाख रुपए के आसपास थी।
- विधानसभा में 15 महिला सदस्य थी जो विभाजन के बाद 9 हो गयी थी।

- घटक सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण समितियां अपने संबंधित अध्यक्षों के साथ इस प्रकार हैं:
  - केंद्रीय शक्ति कमेटी:- जवाहर लाल नेहरू
  - ० संघीय संविधान समिति:- जवाहर लाल नेहरू
  - प्रांतीय संविधान समिति:- सरदार पटेल
  - प्रारूप समिति:- बी आर अंबेडकर
  - ० प्रकिर्या नियम समीति:- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
  - संचालन समिति- डाँ। राजेन्द्र प्रसाद
  - निम्नलिखित प्रारूप समिति के सदस्य थे
  - ০ डॉ. बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष)
  - आलदी कृष्णस्वामी अय्यर
  - डॉ. के एम मुंशी
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगार
  - ० सैयद मोहम्मद सादुल्ला
  - ० एन माधव राऊ
  - टीटी कृष्णमाचारी
- संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और इसमें 8 कार्यक्रम, 22 भाग और 395 लेख शामिल हैं।
- भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत
  - भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय योजना, गवर्नर का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
  - ब्रिटिश संविधान संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और दविसदनीयता
  - अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष पद का पद
  - आयिरश संविधान राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
  - कनाडाई संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में शेष अवशेषों का निपटा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार।
  - ऑस्ट्रेलियाई संविधान समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
  - o जर्मनी के वीमर संविधान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
  - सोवियत संविधान (यूएसएसआर, अब रूस) प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
  - फ्रांसीसी संविधान गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी के आदर्श।
  - दक्षिण अफ्रीकी संविधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों के च्नाव।

# भारत के संविधान की प्रस्तावना

- एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का पहचान पत्र' कहा है।
- प्रस्तावना क्छ हद तक 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है।
- प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इस संशोधन में तीन शब्द - समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया।
- प्रस्तावना के चार अवयवों या घटकों से पता चलता है:
- संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
- भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य के रूप में घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाई-चारा प्रदान करना है।
- संविधान को अपनाने की तिथि: 26 नवंबर, 1949।
- बरुभाड़ी संघ मामला (1960) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- केशवानंद भारती मामला (1973) सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर
   प्रतिबंध है। प्रस्तावना के प्रावधान कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं होते हैं, अर्थात यह गैर-न्यायसंगत है।

# संघ और इसका क्षेत्र

- संविधान का भाग-1 अन्च्छेद 1 से 4 (संघ और उसके क्षेत्र) का वर्णन करता है।
- अनुच्छेद 1- भारत, अर्थोत्, 'राज्यों के संघ' के रूप में भारत।
- अनुच्छेद 2- संसद को 'संघ में प्रवेश करने या स्थापित करने हेतु उचित नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:
- भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति; और
- नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 3- भारत के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में,
   अनुच्छेद 3 भारत के संघीय राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन: समायोजन से संबंधित है।
- कुछ समितियां जो भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण थीं: धर आयोग, जे.वी.पी समिति, फज़ल अली आयोग और राज्यों के पुनर्गठन आयोग (1956 में पहली बार)

इसिलए वर्ष 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य – 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, दमन और दीव को भारत ने 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से अधिग्रहण किया। ये 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित थे, बाद में 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड 1963 में, हिरयाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1974-75 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में, छतीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को वर्ष 2000 में और अब हाल ही में तेलंगाना को 2 जून, 2014 में राज्य का दर्जा दिया गया।

# नागरिकता

- संविधान भारत के नागरिकों पर निम्नलिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रदान करता है (और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है):
- (a)अन्च्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा दिए गए अधिकार
- (b)लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार।
- (c)संसद की सदस्यता और राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- (d)कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता, जैसे की, भारत के राष्ट्रपित, भारत के उप-राष्ट्रपित, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल आदि।
- अनुच्छेद 5-8 केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता के लिए है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक बने। इसके अलावा, इन लेखों में आव्रजन (माइग्रेशन) के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
- कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा यदि वह स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है (अनुच्छेद 9)।
- संसद द्वारा तैयार किए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत के नागरिक होने को मानना या जो भी व्यक्ति माना जाता है, ऐसे लोग नागरिक बने रहेंगे (अन्च्छेद 10)।
- संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के संबंध में किसी भी प्रावधान और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को बनाने का अधिकार होगा (अन्च्छेद 11)।
- इसलिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियमिंत किया, जिसे 1986 1992,
   2003, और 2005 और हाल ही में 2015 में संशोधित किया गया है। संशोधन बिल 2016 अभी भी लंबित है।
- नागरिकता अधिनियम के अन्सार नागरिकता के अधिग्रहण के पांच तरीके हैं
- (A) जन्म से
- (B) वंश द्वारा
- (C) पंजीकरण द्वारा
- (D) प्राकृतिक्करण द्वारा
- (E) भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण करके नागरिकता की हानि - समाप्ति, त्याग और स्थिरता है।
  - भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है

- पी.आई.ओ- गृह मंत्रालय के तहत पी.आई.ओ कार्ड धारक के रूप में दिनांकित 19-08-2002 की योजना में पंजीकृत व्यक्ति ।
- ओ.सी.आई- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। ओ.सी.आई योजना दिनांक 02-12-2005 से संचालित हो रही है।
- अब दोनों योजनाओं का 9 जनवरी, 2015 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया है।

# मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य

# मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

- 1. मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।
- 2. इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि मे भी मौजूद थे।
- 3. मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे ज़रूरी हैं।
- 4. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार शामिल थे, हालांकि, 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और अब केवल छह मौलिक अधिकार हैं। 5. मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्च्छेद निम्न हैं:
- A. 12- राज्य की परिभाषा
- B. 13- भाग -3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कान्न
- 6. मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:

## C. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, (अनुच्छेद 14)
- धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान (अनुच्छेद 15) के आधार पर भेदभाव निषेध।
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध, (अनुच्छेद 17)
- सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन, (अन्च्छेद 18)

## D. स्वतंत्रता का अधिकार (अन्च्छेद 19-22)

- (a) निम्नांकित की स्वतंत्रता से सम्बंधित छह अधिकारों का संरक्षण:
  - भाषण और अभिव्यक्ति,
  - विधानसभा,
  - संघ,
  - आंदोलन,
  - निवास, और
  - व्यवसाय (अनुच्छेद १९)
- (b) अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) ।
- (c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अन्च्छेद 21)
- (d) प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)

(e) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22)

## E. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- (a) व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों के खरीद-फरोक्त पर रोक, (अनुच्छेद 23)
- (b) कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक, (अन्च्छेद 24)

# F. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- (a) धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, (अन्च्छेद 25)
- (b) धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
- (c) किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)
- (d) कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

# G. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- (a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, (अनुच्छेद 29)
- (b) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार, (अन्च्छेद 30)

# H. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) – संविधान की आत्मा ।

मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय जाना जिसमे निम्न याचिकाए शामिल है:

- (I) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) निषेध, (iv) प्रमाणिकता, और (v) पृच्छा (अनुच्छेद 32) ।
- 7. अनुच्छेद 33, संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित है।
- 8. 34 मार्शल लॉ से सम्बंधित है।
- 9. अन्च्छेद 35, मूलभूत अधिकारों के सन्दर्भ में बने आवश्यक कानूनों से सम्बंधित है।
- 10. मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, वें हैं 15, 16, 1 9, 2 9 और 30।
- 11. मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, वे हैं 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28।

# मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद-51A)

- ये नागरिकों के लिए 11 दिशानिर्देशों का एक समूह है।
- मूल संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया।
- म्लभूत कर्तव्यों के विचार को पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। शायद केवल जापान ही ऐसी एक बड़ा देश है, जिसमें बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा एक विशेष अध्याय है।
- नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 2002 में, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

- इन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया
   था। इसमें केवल 8 मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी जिसके साथ ही साथ आर्थिक दंड
   भी शामिल था। हालांकि, सरकार ने सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया।
- एक नया हिस्सा 4 A, एक नया अनुच्छेद 51 A को 42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम,
   1976 के आधार पर जोड़ा गया था। दस कर्तव्यों को 51 A में जोड़ा गया था। वर्तमान में ग्यारह कर्तव्य हैं।
- 11 वें मौलिक कर्तव्यों को 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
- मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न है:
- (a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना,
  - (b) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना;
  - (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना;
  - (d) देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाये;
- (e) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना:
  - (f) देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित रखना;
- (g) जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना;
- (h) वैज्ञानिक मनोवृति, मानवतावादि विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना;
  - (i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना;
- (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े; तथा
- (k) छह से चौदह वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

## राज्य के नीति निर्देशक तत्व

1. इन्हें भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद (36-51) में उल्लेखित किया गया है।

- 2. इन्हें संविधान की नयी विशिष्टता (Novel Features) भी कहा जाता है।
- 3. ये आयरिश (Irish) संविधान द्वारा प्रेरित है।
- 4. ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधनों के समान है।
- 5. नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा जाता है।
- 6. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' उन आदर्शों को दर्शातें है जिन्हें राज्य को कानून और नीतियां बनाते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए। यह विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं।
- 7. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। वे संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। वे 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा का प्रतीक हैं।
- 8. निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, अर्थात्, वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इसलिए सरकार (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। फिर भी, संविधान (अनुच्छेद 37) स्वयं ही कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- 9. निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है-
  - (ए) समाजवादी सिद्धांत
  - (बी) गांधीवादी सिद्धांत
  - (सी) उदार बौद्धिक सिद्धांत
- 9. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं:

न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-द्वारा सामाजिक क्रमबद्धता हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, आर्थिक स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38)।

- 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' अग्रलिखित बिन्दुओ को सुरक्षित करता है: (a) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार; (b) आम वस्तुयों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; (c) धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम; (d) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन; (e) श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से सरंक्षण; और (f) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर (अनुच्छेद 39) ।
- समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सविधान में जोड़ा गया था।
- कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का सरक्षण करना और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का सरंक्षण (अनुच्छेद 41)
- कार्य स्थल का उचित माहौल और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान करना (अन्च्छेद 42) ।

- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना (अन्च्छेद 43 ए)। यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना (अन्च्छेद 40)
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद
   43)।
- नशीले पेयों और खाद्य पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं की खपत को प्रतिबंधित करना (अन्च्छेद 47)।
- गायों, बछड़ों और अन्य दुग्धों के मारे जाने और मवेशी मवेशियों को मारने और उनकी नस्लों (अन्च्छेद 48) में स्धार करने के लिए।
- सभीँ नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना (अनुच्छेद 44)
- छह साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना (अँनुच्छेद 45) ।
   यह 86 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित हैं।
- राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करना (अनुच्छेद 50) । 10. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्माननीय संबंध बनाए रखना; अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता (अनुच्छेद 51) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।
- 11. 2002 के 86 वें संशोधन कानून ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को धारा 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया। संशोधित निर्देशानुसार राज्य को सभी बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा प्रदान आवश्यक होगा, जब तक िक वे छह साल की आयु पूरी नहीं करते है। 12. 2011 के 97 वें संशोधन कानून ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। इसके लिए राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 43 बी)
- 13. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' राज्य के लिए निर्देश हैं।

# भारत के राष्ट्रपति

- अन्च्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा।
- वह भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है।
- हालांकि राष्ट्रपति केवल एकमात्र संवैधानिक प्रधान या टिटुलर प्रमुख, डे जूर प्रमुख या नोमिनल कार्यपालिका प्रधान अथवा प्रतीकात्मक प्रधान होता है।
- राष्ट्रपति का चुनाव
- राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:
  - चयनित सांसद
  - ० राज्यों के चयनित विधायक

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और
   1.06.1995 से प्रभावी) और संघशासित क्षेत्र पुड्चेरी के चयनित विधायक।
- इस प्रकार, संसद और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- अनुच्छेद 55 में चुनाव के तौर-तरीके के बारे में बताया गया है और इसमें संविधान के अनुसार एकरूपता एवं राष्ट्रभर से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अत: सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर मत देते हैं।
- चुनाव का आयोजन एकल संक्रमणीय पद्धिति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और यह मतदान गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निपटारे का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।
- च्नाव प्रक्रिया पर निगरानी एवं संचालन भारतीय च्नाव आयोग द्वारा किया जाता है।
- कार्यकाल (अनुच्छेद 56) और पुर्ननिर्वाचन (अनुच्छेद 57)
- कार्यकाल 5 वर्ष।
- त्यागपत्र उप-राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।
- राष्ट्रपति कईं कार्यकाल के लिए पुर्ननिर्वाचन के लिए पात्र होता है।
- योग्यता (अनुच्छेद 58), शर्तें (अनुच्छेद 59) एवं शपथ (अनुच्छेद 60)

#### पात्रता

- भारत का नागरिक हो,
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- लोकसभा का सांसद चुने जाने की पात्रता रखता हो
- किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति संसद अथवा किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य निर्वाचित होता है, तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है।
- चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक अवश्य होने चाहिए।
- शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है यदि वह अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध किसी विरष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
- सामग्री, भत्ते और विशेषाधिकार आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएगें और उसके कार्यकाल में इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है।
   उसे गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। हांलािक, दो महीनों के नोटिस के बाद, उसके कार्यकाल में उसके खिलाफ उसके व्यक्तिगत कार्य के सबंध में दीवानी मामले चलाये जा सकते हैं।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग (अन्च्छेद 61)
- संवैधानिक उपबंध द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से औपचारिक रूप से हटाया जा सकता है।
- यह 'संविधान के उल्लंघन करने पर' महाभियोग का प्रावधान है। हांलािक, संविधान में कहीं भी इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

- यह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हांलािक, इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को लाने से पूर्व राष्ट्रपित को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है।
- साथ ही, नोटिस पर उस सदन जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया होता है, के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
- उस सदन में विधेयक के स्वीकृत होने के बाद, महाभियोग विधेयक को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बह्मत में अवश्य ही पारित कराया जाना चाहिए।
- इसके बाद विधेयक दूसरे सदॅन में जायेगा जो आरोपो की जांच करेगा तथा राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।
- यदि दूसरा सदन आरोप बनाये रखता है और राष्ट्रपति को उल्लंघन का दोषी पाता है, तथा उस संकल्प को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति का पद संकल्प पारित होने की दिनांक से रिक्त माना जाता है।
- अत: महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है तथा जबिक संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेते हैं। साथ ही, राज्य विधायकों की महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।

## राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ

- उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। वह भारत सरकार का औपचारिक, टिटुलर प्रमुख या डे जूर प्रमुख होता है।
- वह प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
- वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुस्चित क्षेत्र और किसी जाति को अनुस्चित जाति घोषित करने का निर्णय कर सकता है।

## विधायी शक्तियाँ

- संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति।
- संसद के दोनों सदेनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति (जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष दवारा की जायेगी)
- कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं से ख्याति प्राप्त लोगों से 12 सदस्यों को राज्य सभा के लिए और एंग्लो भारतीय सम्दाय से 2 लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है।
- विशेष प्रकार के विधेयकों जैसे धन विधेयक, भारत की संचित निधि से व्यय करने की मांग करने वाले विधेयक आदि को प्रस्तुत करने के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमित आवश्यक है।
- वह विधेयक पर अपनी राय को रोक सकता है, विधेयक को विधायिका में लौटा सकता है, या फिर पॉकेट में रख सकता है।
- वह संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश पारित कर सकता है।
- वह वित्त आयोग, कैग और लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है।

 बिना राष्ट्रपित की अनुमित के किसी अनुदान का आवंटन नहीं किया जा सकता है। साथ ही, वह केन्द्र और राज्यों के मध्य आय के बंटवारे के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।

#### न्यायिक शक्तियाँ

- मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- विधि के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है।
- वह क्षमादान इत्यादि दे सकता है।

#### आपातकालीन शक्तियाँ

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेंद 356)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद ३६०)

#### वीटो शक्ति

भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न तीन वीटो शक्तियाँ होती हैं:

- पूर्ण वीटो विधेयक पर अपनी अनुमित को रोक रखना। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है
  और एक अधिनियम नहीं बन पाता है। उदाहरण 1954 में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग
  विधेयक पर अपनी मंजूरी रोके रखी थी। तथा, 1991 में, श्री आर. वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन,
  भत्ते विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक दी थी।
- निलंबित वीटो विधेयक को पुर्नविचार के लिये भेजना। 2006 में, राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लाभ के पद विधेयक पर निलंबित वीटो का प्रयोग किया था। हांलािक, राष्ट्रपति विधेयक पर विधायिका के प्रनिवचार के लिये केवल एक बार ही विधेयक लौटा सकताहै।
- पॉकेट वीटो राष्ट्रपित को भेजे गए किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राष्ट्रपित को विधेयक पर अपनी अनुमित अथवा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अत: उसके पास अमेरिकी राष्ट्रपित की तुलना में 'बिग्गर पॉकेट' है। 1986 में, राष्ट्रपित ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था।
- ध्यान दें: राष्ट्रपित के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शिक्त नहीं है। वह ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने के लिये बाध्य है।

# अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

- संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
- अध्यादेश का संसद की पुर्नबैठक के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता
  है।
- अत: अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल छह माह + छह सप्ताह है।

 वह केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है।

## राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)

- राष्ट्रपति के पास संघीय कानून, अथवा किसी कोर्ट मार्शल या मृत्यु दंड के मामले में दण्डित किसी ट्यक्ति के दण्ड को माफ करने, रोक लगाने, बदलने, लघुकरण करने और विराम देने की शक्ति होती है।
- यह एक कार्यपालिका शक्ति है और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ हैं, हांलािक राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों में दखल नहीं दे सकता है।
- राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग केन्द्रीय कैबिनेट के परामर्श पर करता है।

## राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति: जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मृत्यु होने पर तथा कोई उचित उत्तराधिकरी न होने पर।
- लोकसभा का विश्वास मत हासिल न कर पाने पर केन्द्रीय कैबिनेट को निलंबित करने की शक्ति।
- मंत्रीपरिषद द्वारा लोकसभा में बहमत खोने पर लोकसभा भंग करने की शक्ति।
- विधेयकों के संबंध में निलंबन वीटो शक्ति का प्रयोग।

# भारत के उपराष्ट्रपति

भारतीय संविधान के भाग पांच में पहला अध्याय (कार्यकारी) भारत के उप-राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में चर्चा करता है। भारत के उप-राष्ट्रपति का ऑफिस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 63: भारत के उप-राष्ट्रपति

भारत में एक उप-राष्ट्रपति होंगे।

अन्च्छेद 64: उपराष्ट्रपति का पद राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में है।

- उपराष्ट्रपति का पद राज्य सभा के पदेन परिषद के अध्यक्ष सभापित के रूप में है और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा:
- दिया गया है कि उस दौरान जब उपराष्ट्रपित, राष्ट्रपित के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपित के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान, वह राज्य सभा के सभापित के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और राज्यों की पिरषद के अध्यक्ष के तौर पर कोई वेतन या भता अनुच्छेद 97 के तहत लेने का हकदार नहीं होगा।

अनुच्छेद ६५

 उप-राष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन, या राष्ट्रपति की अन्पस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा।

# अनुच्छेद 66: उप-राष्ट्रपति का चुनाव

- भारत के उपराष्ट्रपित का चुनाव एक चुनावी इकाई में चुने गए: संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्य सभा) से चुने गए और नामांकित सदस्य द्वारा किया जायेगा।
- भारत के उपराष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है।
- उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित वोटों की संख्या प्राप्त करनी होती है।
- चुनावी इकाई के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है और उम्मीदवारों के नामों के
   आधार पर उनकी वरीयता को इंगित करनी होती है।
- पहले गिनती में, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा सुरक्षित करता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। अन्यथा, प्रस्ताव में वोटों का स्थानांतरण होता है (इनमें सबसे कम मत प्राप्त किये उम्मीदवार के मतों को रद्द करके उसके लिए मतदान करने वालों की दूसरी वरीयता के लिए उनका मत गिना जाता है।) और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आवश्यक कोटा प्राप्त कर कर ले।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्ययालय का है।

# अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंत्-

- a. उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
- b. उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बह्मत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है;

किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;

c. उपराष्ट्रपति, अपने पद की अविध समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

# अनुच्छेद 68:

- उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति
   को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि-
  - (1) उपराष्ट्रपति की पदाविध की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदाविध की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
  - (2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अविध तक पद धारण करने का हकदार होगा।

## अन्च्छेद 69: उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान-

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अनुच्छेद 70:

 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपित के कृत्यों का निर्वहन--संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपित के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

## अनुच्छेद 71:

• राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय— (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

- (2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होंगे।
- (3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपित या उपराष्ट्रपित के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि दवारा कर सकेगी।
- (4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

# संसद (अनुच्छेद 79-122)

- संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है।
- लोकसभा निम्न सदन (प्रथम चेम्बर या प्रसिद्ध सदन) है तथा राज्यसभा उच्च सदन (द्वितीय चेम्बर अथवा बुजुर्गों का सदन) है।

### राज्यसभा का संयोजन

- राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से चयनित) के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
- वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का , 4 सदस्य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति दवारा मनोनीत होते हैं।
- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों के बंटवारे से संबंधित है।
- राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चयन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है।
- ध्यान दें: 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जनसंख्या का निर्धारण 2001 जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

#### लोकसभा का संयोजन

- लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है। इनमें से, 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं।
- वर्तमान में, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है।
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है।
- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

#### संसद के दोनों सदनों की अवधि

- राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हांलािक इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवामुक्त होते हैं। सेवामुक्त होने वाले सदस्य कितनी ही बार पुर्ननिर्वाचन और पुर्ननामांकन के लिये पात्र होते हैं।
- राज्यसभा के विपरीत, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल, आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पांच वर्ष की अविध के लिए होता है, जिसके उपरांत वह स्वत: भंग हो जाती है।
- सांसद बनने के लिए पात्रता और गैर-पात्रता

#### पात्रता

- (a) भारत का नागरिक हो
- (b) राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
- (c) वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता रखता हो। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार)

सांसद चुने जाने के लिए अपात्र होने के लिए

- (a)यदि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद हो।
- (b)यदि वह पागल हो गया हो अथवा न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो।
- (c)यदि वह दिवालिया हो गया हो।
- (d)यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने स्वैच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा का संज्ञान होता हो।
- (e)यदि वह संसद द्वारा बनाए किसी कानून (आर.पी.ए 1951) के तहत अयोग्य करार दे दिया गया हो।
  - संविधान यह भी निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत प्रावधानों के अंर्तगत दल-बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा।
  - दोहरी सदस्यता: कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है।

 कोई सदन किसी सदस्य की सीट को तब रिक्त घोषित कर सकता है जब वह सदस्य सभापित की मंजूरी लिए बिना सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहे।

#### लोकसभा अध्यक्ष

- अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से (प्रथम बैठक के पश्चात शीघ्र अति शीघ्र)
   किया जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प (रेजोल्शन) द्वारा हटाया जा सकता है, हांलािक इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है।
- वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है जिसका आवाहन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के मध्य अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है।
- वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने का निर्णय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- उसे सामान्य मतदान करने का अधिकार नहीं है परंतु मतों में समानता होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब अध्यक्ष को हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो वह लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकता है तथा बोल सकता है उसे मत देने का भी अधिकार होता है लेकिन निर्णायक मत देने का नहीं। ऐसी स्थिति में वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उसे हटाने के प्रस्ताव को केवल पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है और प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब उस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।
- जी. वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
- लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था।
- ध्यान दें: इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले स्पीकर प्रो टेम का भी एक पद होता है। वह प्राय: अंतिम लोकसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है और वह आगामी लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है।

#### लोकसभा उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष के समान, लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों के मध्य किया जाता है।
- उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। पद से हटाने की प्रक्रिया
  अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समान है और वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता
  है।
- मदाभुषी अनंतशयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे।
- वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है।

#### संसद सत्र

संसद का एक 'सत्र' किसी सदन की प्रथम बैठक और उसके अवसान (लोकसभा के संदर्भ में भंग करने) के मध्य की समयाविध है। किसी सदन के अवसान और उसके पुर्नगठन के मध्य की अविध को सत्र अवकाश कहते हैं। प्राय: एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है।

- (1) बजट सत्र (फरवरी से मई)
- (2) मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) और
- (3) शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर)

# भारत की न्यायपालिका

#### सर्वोच्च न्यायालय

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 को कार्य करना शुरू किया| इससे पहले भारत में संघीय न्यायालय कार्यरत था, जिसे 1935 की भारतीय सरकार के अनुसार बनाया गया था|
- संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संगठन,
   स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में बताया गया है।
- वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश है|
- शुरुवात में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 8 निर्धारित किया गया था जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधिश थे|
- नियुक्ति- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपित द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद की जाती है जिन्हें वे आवश्यक समझें। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह अनिवार्य होती है।
- 2015 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत
   घोषित किया गया था और इसलिए ऊपर वर्णित कोलेजियम व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है।
- योग्यता- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:
- (i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए|
- (ii) (a) वह पांच वर्षों के लिए किसी एक ही उच्च-न्यायालय या अन्य उच्च-न्यायालयों में कार्यरत होना चाहिए; या (b) वह दस वर्षों के लिए किसी एक ही उच्च-न्यायालय या अन्य उच्च-न्यायालयों में वकील रह चूका हो; या (c) वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश होना चाहिए। शपथ- मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है।
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल A. इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है| B. वह राष्ट्रपति को पत्र लिख कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं| C. इन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है|
  - न्यायाधीशों का निष्कासन- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से कार्यालय से हटाया जा सकता है| हालांकि वह ऐसा तब कर सकते हैं जब उन्हें वर्तमान सत्र में

संसद द्वारा एक अध्यादेश प्राप्त होता है| यह अध्यादेश सांसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए – इसके लिए कुल बहुमत उस सदन के सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए| प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता न्यायाधीशों के निष्कासन के मुख्य कारण हो सकते हैं|

- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान ही है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्याय अधिकार एवं शक्तियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है- वास्तिवक अधिकार-क्षेत्र, जनहित याचिका, अपील क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड आदि।
- वास्तिविक अधिकार-क्षेत्र यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मामला केन्द्र एवं राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों या केन्द्र के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच हो। ऐसा प्रथम उदाहरण 1961 में केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच देखने को मिला।
- संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रत्याभूति और रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संस्थापित किया है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण-लेख जैसे याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की जनहित याचिका के बीच यह अंतर है कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूलभूत अधिकार सम्बन्धी याचिका जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय अन्य प्रकार की याचिकाएं भी जारी कर सकता है।

#### उच्च न्यायालय

- भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले 1862 में स्थापित किये गए जब इन्हें कलकता, मुंबई एवं मद्रास में गठित किया गया। चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 1866 में स्थापित किया गया तथा इसके बाद ब्रिटिश भारत के अन्य प्रान्तों में जोकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य कहलाए, में इनकी स्थापना हुई।
- 1956 के सातवें संशोधन कानून के अनुसार, संसद दो या अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है|
- वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं जिनमे से तीन उच्च न्यायालय उभय-निष्ठ हैं। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है जिसका (1966 से) अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्रशासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपित द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपित द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल की सलाह से नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी ली जाती है। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होने की स्थिति में, सभी सम्बन्धित राज्यों के राज्यपालों की सलाह भी राष्ट्रपित द्वारा ली जाती है।
- न्यायाधीशों की योग्यता: एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए उसमे निम्न योग्यताएं होनी चाहिए: A. वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए| B. (a) उसका भारत में दस साल तक के लिए एक न्यायिक कार्यालय होना चाहिए| या (b) वह दस वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या न्यायालयों का वकील रह च्का हो|

- शपथ: न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किये गए किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है|
- न्यायाधीश का कार्यकाल: A. उसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है | B. वह राष्ट्रपित को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है | C. उसे उसके कार्यालय से राष्ट्रपित द्वारा संसद की सलाह पर हटाया जा सकता है | D. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने पर या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर भी न्यायाधीश को अपना वर्तमान पद छोड़ना पड़ता है |

# महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय

## चुनाव आयोग

- संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है।
- वर्तमान में चुनाव आयोग संस्थान में, राष्ट्रपॅति द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित हैं।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जो भी पहले हो।
- सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे।

#### संघ लोक सेवा आयोग

- संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत उल्लेखित (अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है)।
- यू.पी.एस.सी में भारत के राष्ट्रपित द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं।
- 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
- यू.पी.एस.सी का अध्यक्ष (पद संभालने के बाद से), इस पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होता है।

#### राज्य लोक सेवा आयोग

- राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
- 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है जो भी पहले हो। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं।
- चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपित द्वारा हटाया जा सकता है, जबिक उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का आधार यू.पी.एस.सी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के समान होता है।
- नोट संविधान के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (जे.पी.एस.सी) की स्थापना का भी प्रावधान है।
- संबंधित राज्यों की अर्जी पर संसद के अधिनियम द्वारा यू.पी.एस.सी और एस.पी.एस.सी से भिन्न जे.पी.एस.सी की स्थापना की जा सकती है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जे.पी.एस.सी एक वैधानिक निकाय है न की संवैधानिक।

 जे.एस.पी.एस.सी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक होती है, जो भी पहले लागू होता हो।

#### वित्त आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या उससे पहले जैसा उन्हें आवश्यक लगे।
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल तब तक होता है जैसा की राष्ट्रपित द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट होता है। वे पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।
- हालांकि यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ के वितरण तथा इस प्रकार की आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित करने पर सलाह देता है।
- के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में यह 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष एन.के सिंह हैं।

## अन्सूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

इससे संबंधित उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है।

# अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

- इससे संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के अन्च्छेद 338-A में किया गया है।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
- इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 350-B में किया गया है।

## भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) का एक स्वतंत्र पद होना चाहिए ।
- वह भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
- वह आम लोगों के धन का अभिवावक होता है और उसका पुरे देश के दोनों वित्तीय तंत्र केन्द्रीय और राज्य पर नियंत्रण होता है।
- यही कारण है की डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर ने कहा था की भारत के संविधान के तहत सी.ए.जी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।
- सी.ए.जी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होती है, जो भी पहले हो।
- उनको राष्ट्रपति द्वारा उनके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उनको हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है।
- उनके सेवानिवृत होने के बाद या हटाए जाने के बाद वह किसी भी प्रकार के या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार के अधिकारी नहीं है।

- सी.ए.जी के कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों में उस कार्यालय में काम कर रहे सभी लोगों के वेतन, भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि को चार्ज किया जाता है। इस प्रकार, वे संसद में वोट करने के सम्बद्ध नहीं है।
- वह भारत की समेकित निधि, प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य जहाँ पर विधान सभा है, की समेकित निधि से संबंधित सभी एकाउंट्स से किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है।
- वह भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए सभी खर्चों और भारत के पब्लिक अकाउंट साथ ही प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और राज्यों के पब्लिक अकाउंट पर किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है।
- वह केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपित को सौंपते हैं, जो बाद में , रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं (अन्च्छेद 151)।
- वह राज्यपाल को राज्यों के लेखों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सौंपते हैं, जो, बाद में,
   रिपोर्ट को विधान सभा में रखते हैं (अन्च्छेद 151)।
- राष्ट्रपति सी.ए.जी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। लोक लेखा समिति उन्हें जांचती है और अपनी जांच को संसद के समक्ष रखती है।

#### भारत के अटॉर्नी जनरल

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है।
- देश में सबसे बड़े कानून अधिकारी की पदवी है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- ए.जी.आई वह होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है।
- कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपित की इच्छानुसार अपने पद पर रह सकता है।
- उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी क्षेत्र में सभी न्यायालयों में श्रोता की तरह भाग लेने का अधिकार रखता है। साथ ही, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार भी रखता है या संयुक्त बैठने की व्यवस्था और संसद के किसी समिति जिसके लिए उन्हें नामित किया गया हो परन्तु बिना वोट के अधिकार के साथ। वह संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं और अधिकारों का आनंद लेता है।
- नोट अटॉर्नी जनरल के साथ ही, भारत सरकार के अन्य कई कानून अधिकारी होते हैं। वे भारत के सोलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल है। वे अटॉर्नी जनरल को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करते हैं। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए की केवल अटॉर्नी जनरल पद का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है। अन्य शब्दों में, अनुच्छेद 76 सोलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं करता है।
- भारत के पहले और सबसे लंबे समय के लिए सेवा में रहे ए.जी.आई मोतीलाल चिमनलाल सेतालवाद थे।
- राज्य के एडवोकेट जनरल
- संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया
  गया है। वह राज्य का उच्च कानून अधिकारी होता है। अतः वह राज्य में भारत के अटॉर्नी जनरल
  का प्रतिरूप होता है।

 एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है।

# गैर संवैधानिक निकाय

#### योजना आयोग

- इस आयोग को के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार (अर्थात् केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में स्थापित किया गया है, इस प्रकार, योजना आयोग न तो एक वैधानिक संस्थान और न ही एक संवैधानिक संस्थान है। अन्य शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय (अर्थात् संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और एक गैर-वैधानिक निकाय (अर्थात् संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) है। भारत में, यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग है। अब, 1 जनवरी, 2015 से इसे एक अन्य निकाय नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- भारत का प्रधानमंत्री आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्ष्यता करते हैं।
- आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है। वह आयोग का वास्तिवक कार्यकारी प्रमुख (अर्थात् पूर्ण कालिक कार्यकारी प्रमुख) होता है। वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समकक्ष पंचवर्षीय मसौदे के सूत्रीकरण और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उसका रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यद्दिप वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे कैबिनेट की सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है (वोटिंग के अधिकार के बिना)

# नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग

- यह योजना आयोग (जो शीर्ष-डाउन मॉडल पर आधारित था) को बदलने के लिए सरकार द्वारा
   2015 में स्थापित किया गया है।
- यह डाउन-अप मॉडल पर आधारित है।
- यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है
- आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।
- वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।
- संचालन परिषद के स्थायी सदस्य-
- (ए) सभी राज्य के मुख्यमंत्री
- (बी) दिल्ली और पुड्चेरी के मुख्यमंत्री
- (सी) अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर
- (डी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष

## राष्ट्रीय विकास परिषद

- राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय।
- एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं।
- A. भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्यक्ष/प्रम्ख होते हैं)।
- B. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)।
- C. सभी राज्यों के मुख्य मंत्री।
- D. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासक।
- E. योजना आयोग के सदस्य।

#### राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

- एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था।
- यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैं।
   अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत मृख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापित, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती है। इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है।
- अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अविध के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले लागू होता हो, तक पद पर रह सकते हैं। वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

## केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी)

- सी.आई.सी को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसे सूचना का अधिकार (2005) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था। अतः, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
- आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
- उनकी नियुक्त एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के तौर पर और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री शामिल होता है, की संस्त्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए।
- वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए। वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यावसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए।

- उनके पद का कार्यकाल 5 वर्ष की अविध/ या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है
  जो भी पहले लागू होता हो। वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।
- उन्हें एन.एच.आर.सी के मामलें में उल्लिखित स्थितियों के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी)

- CVC (सी.वी.सी) केंद्र सरकार में अष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अष्टाचार निरोध पर संथानम समिति (1962–64) की संस्तृति पर की गई थी।
- इस प्रकार, वास्ताव में CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और ना ही एक वैधानिक निकाय।
   सितम्बर, 2003 में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत सी.वी.सी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।
- CVC (सी.वी.सी) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष)
   और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
- इनकी नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख के तौर पर और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर तथा मोहर सहित जारी अधिपत्र द्वारा की जाती है।
- उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता हो। उनके कार्यकाल के बाद, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

# राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य परिषद् के मंत्री

#### राज्यपाल

- राज्यपाल राज्य स्तर पर क़ानूनी तौर पर एक कार्यकारी प्रमुख होता हैं। उसका पद केंद्र के राष्ट्रपति के समान होता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल को किसी एक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप में नियुक्त किया जाता हैं। राज्यपाल के पद के लिए एक व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:
- (a) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- (b) उसकी आय् 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति की तरह, राज्यपाल भी कई प्रकार की प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार रखता हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती चाहे वह उसके निजी कार्यों से सम्बंधित ही क्यों नहीं हो।
- शपथ राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अन्पस्थिती में उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है।
- राज्यपाल का कार्यकाल पाँच साल के लिए होता है। वह राष्ट्रपति की सहमती तक अपने पद पर बना रहता है और उन्हीं को अपना इस्तीफा सौंपता है।

- कोई भी राज्य सरकार अपने सभी कार्यों का निर्वहन औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर करती हैं। वही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है जोकि राज्यपाल की सहमती तक अपना पद ग्रहण करते हैं।
- वह किसी राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है।
   महाधिवक्ता राज्यपाल की सहमती तक अपना पद ग्रहण करता हैं।
- वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान आधार और समान प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।
- वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्येपाल द्वारा।
- राज्यपाल राज्य की विधानसभा का एक अभिन्न अंग होता है। वह विधानसभा की बैठक या सत्रावसान के लिए आवाहन कर सकता हैं और उसे भंग भी कर सकता हैं।
- वह राज्य की विधान सभा के सदस्यों में से 1/6 को नामित करता हैं।
- वह राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन सम्दाय से एक सदस्य को नामित कर सकता हैं।
- राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है (यदि वह विधेयक धन विधेयक बिल नहीं हैं), और विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। (वह धन विधेयक को भी राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है)।
- राज्य विधानमंडल सत्र स्थिगित होने की स्तिथि में वह एक अध्यादेश को लागू कर सकता हैं। अध्यादेश को राज्य विधानसभा द्वारा पुन: सौंपे जाने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।। वह किसी भी समय एक अध्यादेश (अनुच्छेद 213) को निरस्त कर सकता हैं।
- किसी भी धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमित मिलने के बाद ही विधान सभा में पेश किया जा सकता है।
- वह किसी मामले के संबंध में किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा, निलंबित करने, बचाव करने और हटाने के लिए माफ़ी, राहत और छूट दे सकता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कर सकता है। (अन्च्छेद 161)
- संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल को राष्ट्रपति की परामर्श लेना अनिवार्य है।

## महत्वपूर्ण बिंदु

- 153 राज्यों के राज्यपाल
- 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति
- 155 राज्यपाल की नियुक्ति
- 156 राज्यपाल की पदावधि
- 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं
- 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
- 159 राज्यपाल द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा
- 161 माफ़ी या अन्य राहत देने से सम्बंधित राज्यपाल की शक्तियां
- 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सलाह
- 165 राज्य का महाधिवक्ता

- 200 विधेयकों के लिए स्वीकृति (अर्थात् राज्य विधान मंडल द्वारा पारित बिलों के लिए राज्यपाल की सहमति)
- 201 राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल
- 213 अध्यादेशों को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति
- 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल का राष्ट्रपति से परामर्श प्राप्त करना

# मुख्यमंत्री और राज्य परिषद के मंत्री

- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। वह सरकार का प्रधान प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री सहित राज्य के कुल मंत्रियों की संख्या, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
- राज्य विधानसभा की किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बंधित हो यदि दलबदल में लिप्त होने के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसे मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। यह प्रावधान भी 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।

#### राज्य विधानमंडल का संगठन

- भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनी विधानमंडल है तथा सात राज्यों में द्वसदनी विधानमंडल है। ये राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक।
- विधानपरिषद ऊपरी सदन है (इसे सेकंड चेम्बर या हाउस ऑफ़ एल्डर्स भी कहते है), जबिक विधानसभा निचला सदन है (इसे फर्स्ट चेम्बर या पोपुलर हाउस भी कहते है) । केवल दिल्ली और प्ड्चेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमे विधानसमा हैं।

#### राज्य विधानसभा की संरचना

- विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा च्ने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्य की जनसँख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गयी है। हालांकि, सिक्किम के सम्बन्ध में यह संख्या 32 है; और गोवा और मिजोरम में यह 40 है।
- विधान परिषद् के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या उसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गयी है। इसकी न्यूनतम संख्या 40 तय की गई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर एक अपवाद है जहाँ यह संख्या 36 हैं।
- चुनाव प्रक्रिया: विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का
- (a) 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं आदि के सदस्यों द्वारा च्ना जाता हैं
- (b) 1/12 राज्य में रह रहे और तीन साल प्रे कर चूके स्नातकों द्वारा च्ना जाता है

- (c) 1/12 राज्य में तीन साल पुरे कर चुके शिक्षकों जिनकी नियुक्ति माध्यमिक विद्यालय से निचले विद्यालय में नहीं रही हो, द्वारा चुना जाता हैं।
- (d) 1/3 राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और
- (e) शेष राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान या व्यावहारिक अनुभव है।
  - इस प्रकार, एक विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 5/6 भाग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार चुना जाता है।

#### दोनो सदनों की कार्यावधि

- लोकसभा की तरह, विधानसभा भी एक स्थायी सदन नहीं है। विधानसभा की कार्याविध आम चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक होती है।
- राज्यसभा की तरह, विधान परिषद् भी एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निर्वीत होते हैं।
- विधानसभा की सदस्यता
- राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए संविधान में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं:
- (a) वह भारत का नागरिक हो
- (b) वह विधान परिषद् के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  - उसे RPA, 1951 के प्रावधानों के अनुसार दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। दलबदल मामले में भी किसी सदस्य को दल बदल विरोधी अधिनियम (10वीं अनुसूची) के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, वह दिमागी रूप से अवस्थ नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए; वह दिवालिया घोषित नहीं हो।

#### राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी

- विधान मंडल के प्रत्येक सदन के पास अपना पीठासीन अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और प्रत्येक विधान परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्षों के एक पैनल को और विधानपरिषद के लिए उपाध्यक्षों के एक पैनल को भी नियुक्त किया जाता है।
- विधानसभा में सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष को चुना जाता है।
- अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष भी विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। उसका चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद तय होता है।
- विधानपरिषद के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से ही किया जाता है।
- स्पीकर (अध्यक्ष) तय करता हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

# लोकपाल और लोकायुक्त

- लोकपाल और लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी (ओम्बड्समैन) है, जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है।
- इस अधिनियम में केंद्र में 'लोकपाल' और प्रत्येक राज्य में 'लोकायुक्त' नियुक्त करने का प्रावधान है।
- ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे के स्थापित वैधानिक संस्थाएं हैं।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं।

## भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का विकास

- पहली बार स्वीडन में सन् 1809 में एक लोकपाल (ओम्बड्समैन) पद स्थापित किया गया था।
- लोकपाल की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख रूप से विकसित हुई।
- यूनाइटेड किंगडम ने इसे सन् 1967 में अपनाया।
- भारत में, इस अवधारणा को पहली बार सन् 1960 के दशक में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- सन् 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों ने लोक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए निष्पक्ष प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया।
- सन् 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल के प्रावधान की सिफारिश की।
- भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार सन् 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका और सन् 2011 तक विधेयक को पारित कराने के लिए कुल आठ विफल प्रयास किए गए।
- अंत में, सिविल सोसाइटी से दबाव और सामाजिक समूहों की मांग के फलस्वरूप लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2013 पारित किया गया।

### लोकपाल की संरचना

- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष और आधे सदस्यों का कानूनी पृष्ठभूमि से होने अनिवार्य है।
- 50% सीटें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों या महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

# अध्यक्ष के चयन हेतु मानदंड

- उसे भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
- वह भ्रष्टाचार विरोधी नीति, कानून, प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों के अनुभव सहित निरपराध अखंडता और उत्कृष्ट योग्यता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्त होना चाहिए।

## अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

- राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिश से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं: -
  - ० प्रधानमंत्री
  - ० लोकसभा अध्यक्ष
  - ० लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - भारत के म्ख्य न्यायाधीश
  - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित कान्नविद

#### कार्यकाल

- लोकपाल का अध्यक्ष और उसके सदस्य पांच वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते
  हैं।
- अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और कार्य की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगी, और सदस्य का वेतन, भत्ते और कार्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।
- सभी खर्चों का वहन भारत की संचित निधि से किया जाता है।

#### लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां

- लोकपाल का क्षेत्राधिकार सभी समूहों अर्थात A, B, C और D के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, संसद सदस्यों, मंत्रियों तक है और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं और
- बुरे कार्य के लिए प्रेरित करने, रिश्वत देने, रिश्वत लेने के कार्य में शामिल कोई भी अन्य व्यक्ति लोकपाल के दायरे में आता है।
- यह सभी लोक अधिकारियों के साथ-साथ उनके आश्रितों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी जुटाने का कार्य करता है।
- इसे CBI, CVC आदि जैसी सभी एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार है। यह उन्हें कोई भी कार्य सौंप सकता है। लोकपाल द्वारा दिए गए किसी भी कार्य पर, संबंधित अधिकारी को लोकपाल की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- लोकपाल की पूछताछ शाखा के पास एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं।
- लोकपाल को अभियोजन के दौरान भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार है।
- इसके पास भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवकों के निलंबन या स्थानांतरण का अधिकार है।
- यह केंद्र सरकार से किसी भी मामलें की सुनवाई और फैसले के लिए किसी विशेष अदालतों की स्थापना की सिफारिश कर सकता है।

## लोकपाल की कार्यप्रणाली

- लोकपाल केवल शिकायत पर ही काम करता है। यह स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- शिकायत प्राप्त होने के बाद यह प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है।

- लोकपाल की दो प्रमुख शाखएं हैं: जांच शाखा और अभियोजन शाखा।
- लोकपाल अपनी जोंच शाखा के माध्यम से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच कर सकता है।
- यह विस्तृत जांच भी कर सकता है। पूछताछ के बाद, यदि व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है, तो लोकपाल अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।

#### लोकपाल को पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया

- लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। पद से निष्कासित करने के आधार कदाचार, शारीरिक या मानसिक बीमारी, दिवालियापन, पद के अतिरिक्त भ्गतान प्राप्त रोजगार हैं।
- लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से निष्कासित करने के लिए याचिका पर संसद के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसके बाद, इसे जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजा जाएगा।
- जांच के बाद, यदि उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आरोपों को वैध पाता है
   और निष्कासन की सिफारिश करता है, तो उसे राष्ट्रपति दवारा हटा दिया जाएगा।

# लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

#### लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

- लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन।
- लोकसभा और विधानसभा में च्नाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
- ऐसे चुनावों के लिए मतदाताओं की योग्यता।
- मतदाता सूची तैयार करना।
- अधिनियमं की म्ख्य विशेषताएं
  - o अधिनियम में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सीटें भरने के लिए प्रत्यक्ष च्नाव का प्रावधान है।
  - परिसीमन आयोग प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करेगा।
  - चुनाव आयोग मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में अनुसूचित जनजातियों
     के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करेगा।
  - भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को बदलने की शक्ति है।
  - चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद एक जिला-स्तरीय चुनाव आयुक्त को नामित करेगा।
  - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा और उसे अयोग्य

- घोषित किया जा सकता है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या हो सकता है कि वह अयोग्य मन का हो और मतदान से वंचित हो।
- केवल केन्द्र सरकार भारत के चुनाव आयोग से परामर्श के बाद अधिनियम के तहत
   नियमों में संशोधन करती है और किसी भी सिविल कोर्ट के तहत न्यायिक जांच के लिए ऐसा कोई संशोधन उपलब्ध नहीं होगा।

#### लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को भारत की प्रांतीय सरकार द्वारा पहले आम चुनावों से पहले चुनाव प्रक्रिया की जांच करने के लिए लागू किया जाता है। अधिनियम निम्नलिखित स्विधाएं प्रदान करता है:
  - च्नावों का वास्तविक आचरण।
  - संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की अयोग्यता के लिए योग्यता और आधार।
  - o च्नावों से संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध।
  - च्नावों से संबंधित विवाद का निवारण।
- अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
  - o केवल एक योग्य मतदाता ही लोक सभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
  - अनुस्चित जाति और अनुस्चित जनजाति के लिए आरिक्षत सीटों पर केवल उसी श्रेणी के उम्मीदवार च्नाव लड़ सकते हैं।
  - निर्वाचक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की परवाह किए बिना किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, जहाँ मतदाता उपस्थित होता है, जिसके लिए वह मतदान करने के योग्य है।
  - यदि कोई व्यक्ति दुश्मनी को बढ़ावा देने, वर्गों के बीच घृणा करने, रिश्वत देने, चुनावों को प्रभावित करने, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, या धार्मिक असहमति का प्रसार करने, अस्पृश्यता, आयात-निर्यात निषिद्ध माल, किसी भी रूप में अवैध दवाओं और अन्य रसायनों बेचने या उपभोग करने या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 वर्ष की कैद हो सकती है या उसकी कैद से रिहाई के बाद उसे चुनाव लड़ने के लिए छह साल हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  - यदि उसे भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है या संबंधित सरकारी अनुबंधों के लिए बाहर रखा जाता है, तो भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  - च्नावी खर्चों की घोषणा एक विफलता है जो उम्मीदवार की अयोग्यता को बढ़ावा देगी।
  - प्रत्येक राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना चाहिए जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा।
  - राजनीतिक दल के नाम या पते में किसी भी तरह के परिवर्तन के मामले में, पार्टी को चुनाव आयोग को जल्द से जल्द सूचित करना चाहिए।
  - एक राजनीतिक दल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को छोड़कर भारत के भीतर किसी
     भी व्यक्ति या कंपनी से दान ले सकता है। विदेशी योगदान की अनुमित नहीं है।

- प्रत्येक राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक के दान की सूचना अवश्य देनी चाहिए।
- यदि किसी पार्टी को चार से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम 6
   प्रतिशत वैध मत मिलते हैं और कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2
   प्रतिशत सीटें जीतती है तो वे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।
- यदि किसी राजनीतिक दल को राज्य विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 6 प्रतिशत मत
   प्राप्त होते हैं और राज्य विधानसभा की कुल सीटों की कम से कम 3 प्रतिशत सीटें जीतती है, तो यह राज्य की राजनीतिक पार्टी होगी।
- उम्मीदवार को अपनी शपथ लेने के दिन से 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा अवश्य करनी चाहिए।
- चुनावों से संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय में भरी जाएंगी और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय को याचिका को भरने के छह महीने के भीतर समाप्त करना होगा। ऐसे मामले में निर्णय के संदर्भ चुनाव आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- चुनाव आयोग के पास किसी व्यक्ति या किसी भी साक्ष्य को बुलाने और लागू करने के लिए सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। यह इसकी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है।
- चुनाव संबंधी कार्यों के लिए, स्थानीय अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कंपनियों
   और राज्य या केंद्र सरकारों के तहत अन्य संस्थानों के लोगों को चुनाव आयोग के लिए
   उपलब्ध करवाया जाएगा।
- उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा राशि के रूप में 25000 रुपये जमा करने चाहिए, और अन्य सभी चुनावों में 12500 रुपये जमा करने चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुरक्षा निक्षेपण में 50 प्रतिशत की रियायत प्राप्त होती है।
- अधिनियम के तहत परिभाषित चुनावों से संबंधित विभिन्न अपराध
- द्श्मनी और नफरत को बढ़ावा देना।
- बूथ कैप्चिरंग और बैलट पेपर को हटाना।
- आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करना।
- परिणाम से पहले दो दिन के भीतर शराब बेचना।
- मतदान से पहले 48 घंटे के भीतर सार्वजिनक बैठक बुलाना और गड़बड़ी पैदा करना।

## जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966

 इसने चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिनके आदेश सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चुनावी विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं।  जन (संशोधन) अधिनियम, 1988 का प्रतिनिधित्व इसने ब्थ कैप्चिरंग और चुनाव मतदान मशीनों के कारण मतदान स्थिगित करने का प्रावधान किया।

#### जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सूचना से संबंधित नया खंड 33 ए
 1951 के अधिनियम में डाला गया था।

## जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2017

- इस विधेयक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की मांग की गई है, तािक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 में एक उप-धारा जोड़कर एन.आर.आई द्वारा प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमित दी जा सके और लिंग-तटस्थ अधिनियम का प्रावधान किया जा सके जैसे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A में 'पत्नी' शब्द के स्थान पर 'स्पाउज' शब्द को लाना।
- संशोधन एन.आर.आई द्वारा मतदान के अधिकार हेत् मांग को पूरा करेगा।

# संविधान की मूल संरचना

#### अवधारणा

- संविधान प्रकृति में जैविक है।यह सतत रूप से निरंतर बढ़ता है क्योंकि यह संविधान की भावना का प्रतीक है।
- भाग XX के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, यह संसद को अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार देता है।
- चूंकि संविधान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बदलने के साथ स्थिर नहीं है, इसलिए समय की माँग के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।
- इसलिए, संसद की संशोधन शक्ति संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करने हेत् सीमित है।
- संविधान के घटक निम्नानुसार हैं:
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - ० कानून के नियम
  - भारतीय राजनीति का संप्रभ्, लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन स्वरूप
  - कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
  - संविधान का संघीय चरित्र
  - ० राष्ट्र की एकता और अखंडता
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  - न्यायिक समीक्षा
  - व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
  - सरकार की संसदीय प्रणाली
  - o मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी के बीच संत्लन
  - समानता का सिद्धांत

- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- संवैधानिक संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध
- न्याय तक प्रभावी पहंच
- ० युक्तियुक्तता का सिंद्धांत
- ० स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- अन्च्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- अवधारणा कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है

## संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति

- सिद्धांत के विचार को रोड आइलैंड बनाम ए. मिशेल पामर केस, 1919 (State of Rhode Island vs. A. Mitchel Palmer case, 1919) में बनाए गए यू.एस. ए के सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन से उधार लिया गया था।
- शंकरी प्रसाद 1951 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत नहीं आते हैं तथा इस तरह के संशोधन में मौलिक अधिकारों का संशोधन भी शामिल है।
- संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 एक बड़ा बदलाव लाया। इसने नौवीं अनुसूची में कई कानूनों को शामिल किया, ताकि न्यायिक समीक्षा की जांच से बचा जा सके। इसे सज्जन सिंह मामले में चुनौती दी गई थी, जहां इसने पहले के फैसले की पुष्टि की कि संसद अनुच्छेद
   368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
- आई.सी. गोलखनाथ केस, पहले, चौथे और सत्रहवें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार किया गया। इस फैसले में इसने शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में किया गया फैसला सुनाया। यह माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। चूंकि संसद की विधायी शक्ति इस संविधान के प्रावधानों के अधीन थी, अनुच्छेद 13(2) में संशोधन पर प्रतिबंध शामिल है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
- संसद ने संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम पारित किया जो गोलखनाथ निर्णय को निरस्त करता है।इसने संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 31C पेश किया।इसमें कहा गया है, जो कानून संविधान के भाग IV के तहत उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है, उन्हें स्वचालित रूप से वैध माना जाएगा और अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।इसे केशवानंद भारती केस, 1973 में चुनौती दी गई थी।
- केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने 'संवैधानिक कानून' और संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत उल्लिखित 'कानून' शब्द के बीच अंतर निर्धारित किया।
- अदालत ने कहा कि 'संवैधानिक कानून' शब्द अनुच्छेद 13 में 'कानून' के दायरे में आता है। यह भी कहा गया है कि विधायिका की संशोधित शक्ति 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' के अधीन होगी और इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधायी शक्ति का उपयोग 'क्षिति', 'प्रभावहीन', 'नष्ट', 'निरस्त', 'परिवर्तन' या 'मूलभूत संरचना' या संविधान के ढांचे में परिवर्तन के रूप में नहीं कर सकती। यह निर्णय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है।

# दलबदल विरोधी कानून

- िकसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्यों के लिए एक विधायक, जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य है, को अयोग्य ठहराया जा सकता है:
- यदि कोई विधायक स्वेच्छा से राजनीतिक पार्टी से अपनी सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी विधायक का वोट या सदन में मतदान से अलग रखना है जो उस राजनीतिक दल द्वारा पहले से जारी निर्देशों के विपरीत है।
- िकसी सदन के मनोनीत सदस्यों के लिए अगर वह सदन में अपनी कुर्सी लेने के छह महीने बाद अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 के प्रावधान का पालन करने के बाद किसी भी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की घोषणा करता/करती है, तो किसी भी सदन के नामित सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- स्वतंत्र सदस्य के लिए- सदन का कोई सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है, उसे चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

## दलबदल विरोधी कानून के तहत अपवाद:-

- एक विधायक द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी के बदलते रहने से हमेशा दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। दलबदल निरोधक कानून एक राजनीतिक दल को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने की अन्मित देता है-
- एक विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदिँ उसकी मूल/प्रारंभिक राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय कर देती है, और:
  - वह और उसकी पुरानी राजनीतिक पार्टी के अन्य सदस्य नई राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेते हैं, या
  - वह और उसकी पुरानी राजनीतिक पार्टी के अन्य सदस्य विलय को स्वीकार नहीं करते हैं
     और एक अलग दल के रूप में कार्य करने का निर्णय लेते हैं।
  - दलबदल विरोधी कानून के तहत यह अपवाद केवल तभी लागू होगा जब किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई से कम सदस्य विलय के साथ या अलग दल के रूप में कार्य करने के लिए सहमत न हों।

## दलबदल विरोधी कानून की न्यायिक व्याख्या

- दसवीं अनुसूची के अनुसार, दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के सवालों पर अध्यक्ष/सभाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और कानूनी अदालत में बहस नहीं की जा सकती है। हालांकि, 1991 में किहोटो होलोहन बनाम जचिल्हु और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने घोषणा की कि अध्यक्ष/सभाध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- 1996 में, इसे दसवीं अनुसूची के तहत घोषित किया गया था कि एक बार किसी सदन के सदस्य को निष्कासित कर देने के बाद, उसे उस सदन में एक 'असंबद्ध' सदस्य माना जाएगा। हालांकि, उन्हें उस पुरानी पार्टी का सदस्य बना रहना चाहिए जिससे वह संबंधित हैं। यदि वह सदन से

- निष्कासित होने के बाद एक नए राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए जैसे उसने अपनी पुरानी राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी है।
- िकसी सदन के अध्यक्ष/सभाध्यक्ष के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत लिए गए अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं होती है। ऐसी शक्तियां दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में निहित नहीं थीं, लेकिन अदालतों द्वारा इनकी व्याख्या की गई थीं।
- यदि किसी सदन का अध्यक्ष/सभाध्यक्ष किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहता है या बिना जांचे किसी राजनीतिक दल के विभाजन या विलय के दावे को स्वीकार करता है, तो यह माना जाएगा कि अध्यक्ष संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार कार्य करने में विफल रहे हैं। न्यायालय ने घोषणा की कि अयोग्यता के लिए एक याचिका की अनदेखी के ऐसे सभी मामलों में केवल अनियमितता नहीं मानी जाएगी, बल्कि अध्यक्ष के संवैधानिक कर्तव्यों का भी उल्लंघन होगा।

# सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना के अधिकार के साथ संसद द्वारा जून 2005 में पारित किया गया था और यह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ।
- RTI अधिनियम, 2005 ने प्रत्येक नागरिक के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन-प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित किया।
- RTI, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के अनुरूप जवाबदेही और पारदर्शिता विकसित और स्निश्चित करने का एक तंत्र है।
- यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कान्नी अधिकार है।
- RTI अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएं
  - इसके प्रावधान के तहत, भारत का कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। आवश्यक सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना ज़रूरी है।
  - सार्वजिनक प्राधिकरण से किसी भी मुद्दे पर सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्र या राज्य में लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  - RTI अधिनियम प्रत्येक सरकारी निकाय को जनता के लिए सूचना के व्यापक प्रसार हेतु
     अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत कर अपने कार्यालयों को पारदर्शी बनाने के लिए
     प्रोत्साहित करता है।
  - जम्मू और कश्मीर इस RTI अधिनियम, 2005 के तहत नहीं आएंगे। हालांकि, इनके
     पास एक अलग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 है।
  - सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को RTI अधिनियम द्वारा शिथिल कर दिया गया था।

 अधिनियम के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए अधिनियम ने त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की है। वह तीन स्तर हैं - लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)।

# जनहित याचिका

- न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णायर ने अपने उत्कृष्ट प्रयासों से इस न्यायिक क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- संविधान के अनुच्छेद 39A (समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता) में निहित सिद्धांत
   पी.आई.एल. की अवधारणा के अन्रूप हैं।
- जनिहत याचिका राज्य या केंद्र सरकार, नगरपालिका अधिकारियों और किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है। राज्य की परिभाषा संविधान के अन्च्छेद 12 में दी गई है।
- उद्देश्य
  - आम जनता, विशेष रूप से बेसहारा, दिलत जनता हेतु न्याय की समान पहुँच को सुरक्षित करना।
  - उपभोक्ता वर्ग और जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे को व्यापक बनाना।
  - पारंपरिक न्याय प्रणाली की अहस्तक्षेप-नीति धारणा को अस्वीकार करना।
  - न्यायिक प्रतिकार के लिए जागरूकता, आग्रहिता और संसाधनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाना।

# श्रेणियों जो पी.आई.एल. के तहत आती हैं

- बंध्आ मजद्री से संबंधित मामले।
- उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले।
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना।
- उत्पीड़न, जेल में मौत, शीघ्र विचारण आदि से संबंधित शिकायतें।
- मामला दर्ज न करने, दुल्हन का उत्पीइन, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के लिए पुलिस के खिलाफ याचिका।
- महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मुक़दमा।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें।
- पर्योवरण से संबंधित याचिका।

# पंचायती राज व्यवस्था का विकास

# कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं:

- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- जी.वी.के. राव समिति

- एल.एम. सिंघवी समिति
- थुंगोन समिति
- गांडगिल समिति

# 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- इस अधिनियम ने भाग- IX को भारत के संविधान में "पंचायतों" के नाम से जोड़ा। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान हैं। एक नई अनुसूची के अलावा, ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो 243G के साथ संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं।
- अधिनियम ने एक DPSP, संविधान के अन्च्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया।
- इस अधिनियम में राज्यों द्वारा अपनाए जॉने वाले कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान शामिल हैं।
- ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करती है। निकाय में सभी व्यक्ति शामिल हैं जो संबंधित गांवों में निर्वाचक मंडल के रूप में पंजीकृत हैं। यह पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना (गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर) को अनिवार्य करता है। लेकिन 2 मिलियन से कम आबादी वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर गठन से छूट दी गई है।
- अधिनियम यह प्रावधान करता है कि तीनों स्तरों पर सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
   ऊपरी दो स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से किया जाएगा और पंचायतों के संबंध में
   प्रावधान रखना राज्य विधानमंडल पर स्वैच्छिक अधिकार है।
- प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए आबादी के अनुपात में पद आरक्षित हैं। यह तीनों स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों के आरक्षण के संबंध में स्वैच्छिक प्रावधान करने के लिए राज्य पर निर्भर है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिये और कार्यालय का एक तिहाई हिस्से से अधिक महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- पंचायतें 5 साल की अवधि की होंगी और चुनाव मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति से पहले किए जाएंगे।
- अधिनियम क्रमशः वित्त और चुनाव के संचालन के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का एक पद सृजित करता है। पंचायतों के खातों के ऑडिटिंग और तंत्र के तरीके राज्यों द्वारा तय किये जायेंगे।
- अधिनियम, राज्य विधान सभा को पंचायत के वित्त के बारे में कानून बनाने और कैसे और किन शर्तों पर वे कर लगा सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं और उचित कर लगा सकते हैं, के लिए शक्ति प्रदान करता है।
- कई राज्यों और क्षेत्रों को इस कान्न से छूट दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची के तहत, 1996 का PESA अधिनियम लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर कैसे लागू होने चाहिए।